150

सेवा में,

श्रीमान राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिकारी महोदय,
फरीदकोट हाउस नई दिल्ली 110001

विशय– प्रार्थना पत्र बावत मेसर्स मॉ बैश्णो ब्रिक फील्ड राम नगर सरैया माफी तहसील बल्दीराय जिला सुलतानपुर के आदेश संख्या 652/ NGT 430/2023–24 दिनांक 16.12.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि **प्रार्थी शिवम जायसवाल सुत सुन्दरलाल जायसवाल निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर तहसील बल्दीराय जिला सुलतानपुर** का स्थायी निवासी है। प्रार्थी **मेसर्स मॉ वैष्णो ब्रिक फील्ड रामनगर सरैया माफी तहसील बल्दीराय जिला सुलतानपुर का पार्टनर/प्रोपराइटर है।** विदित रहे अपने आदेश संख्या 652/ NGT 430/2023–24 दिनांक 16.12.2023 के सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो प्रार्थी के भट्टे के सम्बन्ध में आप महोदय द्वारा भेजा गया है। अपना पक्ष रखने हेतु आदेशित किया गया है। अतः मेरा पक्ष यह है कि अपना भट्टा सन् 2014 में स्थापित किया एवं जिला पंचायत व खनन व वणिज्य कर एवं आदि विभागों को टैक्स का भुगतान सही समय पर कर रहा हूँ। एवं प्रदूषण विभाग को लाइसेन्स हेतु आन लाइन आवेदन भी कर चुका हूँ। परन्तु प्रदूषण विभाग की गाइड लाइन सख्त होने के कारण मेरा लाइसेन्स नहीं बन रहा है। और आगे यह कहता हूँ कि हमारे भट्टे के खिलाफ केस करने वाले श्री **राजेन्द्र सिंह सुत स्व. रघुराज सिंह निवासी विसांवा तहसील बल्दीराय जिला सुलतानपुर गंदी मानसिकता का व्यक्ति है। जो प्रायः क्षेत्र के अन्य भट्टे मालिको से धन उगाही हेतु परेशान किया करता है। जिससे क्षेत्र के व्यवसायियों में भय का माहौल है।** मेरे भट्टे से भी धन उगाही करने का प्रयास किया प्रयास सफल न होने पर उसने हम पर केस कर दिया। जिससे मैं परेषान हो रहा हूँ।

महोदय आप द्वारा एवं प्रदूषण बोर्ड द्वारा दिये गये आदेश के पालन हेतु मैंने अपना भट्टा बन्द रखा है। एवं लाइसेन्स प्राप्त करके ही भट्टे में फुंकायी करूंगा।

प्रार्थी

शिवम जायसवाल सुत सुन्दरलाल जायसवाल
प्रो0/पार्टनर मेसर्स मॉ वैष्णो ब्रिक फील्ड
रामनगर सरैया माफी तहसील बल्दीराय
जनपद सुलतानपुर
मो0–6307224002
दिनांक–

430 of 2023

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi
Receipt & Issue Branch
Received
19 JAN 2024
Dairy No. 314
Signature

19-01-2024